न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 159/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
किशोर कुमार पुत्र शंकरलाल जाति प्रजापत निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री सांवरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 21.10.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 49/2018 सरकार बनाम किशोर में निर्णय दिनांक 02.07.18 के तहत मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2292 रकबा 0.010 बीघा गै.मु. अंगोर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.07.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 09.07.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 49/18 सरकार बनाम किशोर कुमार के फर्द अहकाम दिनांक 9.5.18 से 2.7.18 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, वकालतनामा की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, बयान दिनांक 13.6.18 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 2.7.18 की फोटोप्रति, तहसीलदार को प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के फर्द अहकाम दिनांक 18.9.17 से 28.6.18 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर को प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील प्रश्नगत आदेश दिनांक 2.7.18 विधि एवं नियमो के विपरीत पारित होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–जैर अपील प्रश्नगत आदेश एक साइक्लोस्टाइल आदेश है ऐसा आदेश सकारण पारित आदेश (स्पीकिंग ओर्डर) नही है और पीठासीन अधिकारी ने बिना मस्ष्कि का उपयोग किये यह आदेश पारित किया है। अतः सकारण पारित आदेश न होने से ऐसा आदेश प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी है। अतः इसी बिनाय पर यह आदेश निरस्तनीय है।

{2}(III)–प्रथम तो अपीलार्थी का जैर अपील प्रश्नगत आदेश मे विवेचित मौजा कुचेरा के खसरा 2292 पर कोई अतिचार नही है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट मे बताया कि "किशोर कुमार पुत्र शंकरलाल जाति प्रजापत निवासी कुचेरा द्वारा मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2292 रकबा 1 बिस्वा किस्म गै.मु. अंगोर पर कब्जा करने पर पूर्व मे भी बेदखल आदेश करने के बावजूद अतिक्रमी ने पुनः खसरा नं. 2292 रकबा 1 बिस्वा पर अतिक्रमण कर लिया है।" पटवारी के उक्त बयानो मे कही पर भी यह तथ्य अंकित नही है कि अतिक्रमी अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे भौतिक रूप से बेदखल किया था। पटवारी अपने बयान रिपोर्ट मे बताता है कि पूर्व मे बेदखली के आदेश हो चुके है। इस प्रकार बेदखली आदेश होने और भौतिक रूप से बेदखल करने मे स्पष्ट अंतर है। बिना भौतिक बेदखल किये पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रमाणित मानने मे अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी एवं वाकियाति त्रुटि की है। अतः इसी बिनाय पर जैर अपील प्रश्नगत आदेश निरस्तनीय है।

{2}(IV)–पटवारी ने अपनी अतिक्रमण की रिपोर्ट दिनांक 6.5.18 मे "पश्चातवर्ती अतिक्रमण" की टिप्पणी अंकित की है मगर कही पर भी यह तथ्य पत्रावली पर पेश व प्रमाणित नही है। अपीलार्थी ने कब पूर्व मे अतिक्रमण किया और उसके अतिक्रमण को कब भौतिक रूप से बेदखल किया गया। इस प्रकार पश्चातवत्री अतिक्रमण का कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर न होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील प्रश्नगत आदेश निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

{2}(V)–जैर अपील प्रश्नगत आदेश न सकारण पारित है और न ही यह आदेश स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर मस्तिष्क का उपयोग कर पारित आदेश है। यह आदेश स्पष्टतया एक साइक्लोस्टाइल पारित आदेश है। पत्रावली पर अपीलार्थी के बचाव प्रत्युतर के संबंध मे कोई स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा नही करवायी गयी तथा पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का भी कोई स्पष्ट एवं प्रमाणित साक्ष्य भार नही है। अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील प्रश्नगत आदेश कानूनी प्रावधानो के विपरीत पारित आदेश है। अतः ऐसा आदेश आरआरडी 1967 पेज 197 राज्य बनाम भैरूसिंह मे पारित न्यायिक विनिश्चय की बिनाय पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अतिक्रमी से तात्पर्य उस व्यक्ति से होता है जिसने अनाधिकृत कब्जा किया हो। इस प्रकरण मे प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 2292 की भूमि मे अपीलार्थी की खातेदारी हक स्वामित्व एवं अभिधारी की 2 बीघा व 1 बिस्वा भूमि शामिल है। साबिक बंदोबस्त मे अपीलार्थी की पुश्तेनी खेती की भूमि खसरा नं. 2105 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा थी और तत्समय खसरा नं. 2292 की वर्तमान अवस्थिति रेकर्ड पर नही थी। यहां मौके पर अपीलार्थी के पुश्तेनी खातेदारी के खेत खसरा नं. 2105 मे से एक रास्ता चलता था जो गांव कुचेरा की आबादी से शुरू होकर आगे कांकड माठ तक जाता था। हाल बंदोबस्त मे बंदोबस्त अधिकारियो ने मौके पर चल रहे रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड यथा नक्शा व जमाबंदी मे किया मगर दोनो ही अंकन विधि विरूद्व होने के अलावा गलत एवं त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिये। त्रुटिपूर्ण अंकन इस प्रकार किये गये है–

(क) जहां रास्ता चलता था इसको नक्शे मे खसरा नं. 2292 दर्शाया गया मगर किस्म भूमि "रास्ता" की बजाय "अंगोर" दर्ज कर दी जो नक्शे को देखने मात्र से त्रुटि प्रमाणित है।

(ख) बन्दोबस्त अधिकारियो ने खसरा नं. 2292 जो कि वस्तुतः एक रास्ता है और मौके पर ग्राम कुचेरा की आबादी से लेकर आगे कांकड मांठ तक 4 गटठे चोडाई मे है और इसी रूप मे मौके पर मौजूद भी है मगर अपीलार्थी के साबिक खसरा नं. 2105 व हाल खसरा नं. 2331 मे इस रास्ते की चोडाई अनावश्यक रूप से 4 गटठे से लेकर 1 जरीब तक चोडी कर दी जबकि मौके पर वर्तमान नक्शा आकृति अनुसार कभी भी रास्ता नही रहा। जहां वर्तमान आकृति खसरा नं. 2292 की है इस आकृति की जद मे प्रार्थी के साबिक बंदोबस्त के समय से बनी ढाणियां पशुशाला बाडा आदि आ रहे है। यह निर्माण भी बहुत पुराना है और अपीलार्थी की अभिधृति की भूमि मे किया गया है। रिकार्ड मे रही इस भूल को जानकारी रिकार्ड एवं तथ्यो सहित अधीनस्थ न्यायालय को दे दी गयी थी मगर अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड मे रही इस गलती को संज्ञान नही लिया और अपीलार्थी को निराधार एव बेबुनियाद रूप से अतिक्रमी मानने मे गंभीर एवं कानूनी एवं वाकियाति त्रुटि की है।

{2}(VII)–अपीलार्थी साबिक खसरा नं. 2105 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा का खातेदार था और इस खसरा नं. मे से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलार्थी की खातेदारी मे से कम कर बंदोबस्त अधिकारियो ने खसरा नं. 2292 मे शामिल कर दी। प्रथम तो बंदोबस्त अधिकारियो को ऐसा करने का कोई अधिकार नही था और दूसरा जैर अपील प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 2292 मे शामिल 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसके लगान आदि अपीलार्थी व उसके पूर्वजो ने चुकाये थे इस तथ्य की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान मे लाने के बावजूद भी इस ओर पूर्णतया अनदेखी की गई। अतएव उक्त स्थिति के मध्य नजर केवल राज्य हित मे बिना पूर्ण ऐतिहासिक जांच के बेदखली का आदेश आरआरडी 1977 पेज 495 पेरीलाल बनाम राज्य मे पारित न्यायिक विनिश्चय की बिनाय पर भी उचित नही है। अतः अपील प्रश्नगत आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)–अपीलार्थी के साबिक खेत खसरा नं. 2105 जिसके हाल खसरा नं. 2331 के समानान्तर खसरा नं. 2292 (रास्ता) की चोडाई मौका स्थिति के विपरीत अनावश्यक रूप से बढा दी जिसके कारण अपीलार्थी के साबिक बंदोबस्त समय से बने मकान व बाडा भी अतिक्रमण की जदमे आ गये। रिकार्ड की इस त्रुटि को सुधारने के लिये अपीलार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर के यहां एक राजस्व वाद सं. 63/16 पेश कर रखा है जिसमे तहसीलदार मुण्डवा एक पक्षकार है और उसकी तारीख पेशी दिनांक 28.6.18 की थी। जिसमे तहसीलदार मुण्डवा की ओर से स्वयं पीठासीन अधिकारी श्री शंकरसिंह राठौड उपस्थित थे। परंतु श्री राठौड को इस प्रकरण में प्रश्नगत संपूर्ण विषयवस्तु का अभिज्ञान है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी बन्दोबस्त द्वारा कायम रास्ते को कभी भी बंद करवाना नही चाहता है और न ही ऐसा अनुतोष अपने वाद सं. 63/16 मे न्यायालय से चाहा है। अपलार्थी केवल यह अनुतोष चाहता है कि उसके खेत मे से रास्ते को मौका अवस्थिति के विरूद्व अनावश्यक रूप से 1 जरीब चोडा कर दिया जिससे

अपर कलक्टर, नागौर

उसके खेत से आगे व पीछे के खेतो के अनुरूप 4 गटठा चोडा मे ही रखने तक राजस्व नक्शे मे शुद्वि का अनुतोष है। मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2292 के दोनो किनारो पर अंग्रेजी बबूल की झाडिया उग जाने से खातेदारो ने आपसी सहमति से प्रशासन की मदद लेकर झाडिया कटवायी थी। जिसमे अपीलार्थी भी शामिल था और अपीलार्थी ने अपने खेत की सीमा पर उगी झाडिया कटवाने के बाद रास्ता पर्याप्त चोडा रखते हुए कांटो को खेत के पशुओ से सुरक्षा व रखवाली हेतु अपनी माठ पर रख दिये थे। गांव के कुछेक लोग जो अपीलार्थी से रंजिश रखते है। पटवारी व पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर अपीलार्थी के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की यह रिपोर्ट करवाकर जैर अपील प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया। जबकि आरआरडी 1977 पेज 591 राज्य बनाम बंशी मे पारित विनिश्चय अनुसार अतिक्रमण की पुनरावर्ती के मामलो मे दण्डित करने से पूर्व यह नितांत आवश्यक है कि पूर्व मे अतिक्रमी का कब्जा हटा दिया गया हो और तत्पश्चात उसने पुनः कब्जा किया हो। सम्प्रति, यहां कब्जा हटाने एवं पुनः करने का कोई तथ्य पत्रावली पर जांच मे प्रमाणित नही है। अतः उक्त न्यायिक विनिश्चय की बिनाय पर पारित यह जैर अपील प्रश्नगत निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IX)–अपीलार्थी एक राज्य सरकार का कार्मिक है और जलदाय विभाग मे हेल्पर के पद पर ग्राम कुचेरा मे कार्यरत है। विधि अनुसार एक सरकारी कार्मिक के विरूद्व सिविल कारावास का दण्डादेश पारित करने से पूर्व उसके नियोक्ता से अभियोजन स्वीकृति लेनी आज्ञापक थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई स्वीकृति नही ली है। अतः सिविल कारावास का आदेश इसी बिनाय पर खारिज किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा कुचेरा में स्थित गै.मु. अंगोर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया, जिसके अनुसार –

1–पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके कुचेरा के खसरा नंबर 2292 गै.मु. अंगोर भूमि पर संवत 2075 मे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इससे पूर्व मे प्रकरण सं. 258/15 मे संवत 2073 मे अतिक्रमण करना भौतिक रूप से बेदखली करना बताया गया है। जबकि ऐसी कोई फ़र्द अथवा पूर्ववर्ती वर्ष की पत्रावली को साक्ष्य से साबित नही करवाया गया है। ऐसी स्थिति मे पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही है।

2–वकील अपीलांट ने यह भी बताया कि प्रकरण प्रश्नगत आराजी की किस्म भी बन्दोबस्त अधिकारियों ने गलत रूप से गै.मु. अंगौर दर्ज की है। जबकि यह प्रश्नगत भूमि मौके पर रास्ते के रूप मे काम आ रही है। इस रास्ते की चौडाई शुरू से लेकर अंत तक चार गट्टा ही है। जबकि अपीलांट के खेत मे अनुचित तरीके से बढा दी। फलतः अपीलांट की वक्त बंदोबस्त से मौके पर उसके खातेदारी खेत मे बनी ढाणी, पशुबाडा आदि को सरकारी रकबे मे अनुचित तरीके से शामिल कर दिया। इस तथ्य की जानकारी मिलने पर अपीलांट ने रिकार्ड दुरूस्ती का वाद सक्षम राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के यहां प्रकरण सं. 63/17 पेश कर दिया। जो वर्तमान मे लंबित है। वकील अपीलांट ने अपने उक्त कथनो के समर्थन मे हमारा ध्यान पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व वाद सं. 63/17 की प्रमाणित प्रतियां एवं वाद के साथ प्रस्तुत साबिका बंदोबस्त व हाल बंदोबस्त के नक्शे एवं खतौनी की ओर दिलवाया। साबिका बंदोबस्त एवं हाल बंदोबस्त के नक्शों को सुपरइंपोज कर पेश किये गये नक्शे से वकील अपीलांट ने अपने कथनों की पुष्टि की गई। अतएव उपर्युक्तानुसार किये गये विवेचन के मध्यनजर आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए सभी तथ्यो को रेकर्ड पर लेवे तथा यदि अपीलांट का कब्जा अनाधिकार पूर्वक पाया जाता है तो अपीलांट को नोटिस देकर पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर